07/18 बद्रीनारायण बनाम धौसी देवी व अन्य
धारा-75

दिनांक आज्ञा कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	पेश किया गया जिसे शामिल पत्रावली किया गया वकील अपीलाण्टस रेस्पोण्डेंट्स संख्या 2,3,10 के रजिस्टर्ड AD से नोटिस पेश किए। पत्रावली दिनांक 4/5/21 को पेश हो।	
	उप जिला कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट बस्सी जिला-जयपुर	
4/5/21	पत्रावली पेश हुई। P.O. साहब कोविड-19 कार्य ... के कारण कार्यवाही नहीं की जा सकी पत्रावली दिनांक 13/7/21 को पेश हो।	
13/7/21	पत्रावली पेश हुई। P.O. साहब राजकार्य कार्य में व्यस्त रहने के कारण कार्यवाही नहीं की जा सकी पत्रावली दिनांक 3/8/21 को पेश हो।	
3/8/21	पत्रावली पेश हुई। पंचकार्य कार्य में व्यस्त रहने के कारण कार्यवाही नहीं की जा सकी पत्रावली दिनांक 22/10/21 को पेश हो।	
22/10/21	राजस्थान सरकार राजस्व (ग्रुप-1) विभाग के आदेश क्रमांक प.12 (2) रा. ग्रु-1/2021 दिनांक ... की पालना में पत्रावली प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021 में केम्प साईट जीतावाला में दिनांक 9/11/21 पेश हो। पक्षकारान को केम्प नोटिस जारी हो।	
9/11/21	पत्रावली आज प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021 के तहत केम्प जीतावाला में पेश हुई। अपीलार्थी एवं रेस्पोण्डेंटस उपस्थित। उभयपक्ष की पहचान सरपंच ग्राम पंचायत जीतावाला के द्वारा की गई। तहसीलदार बस्सी से जवाब प्राप्त हो चुका है पत्रावली एवं फाइल पर उपलब्ध रिकॉर्ड का सावधानी पूर्वक अवलोकन	किस्मत्रवर्मा सरपंच ग्राम पंचायत पं.स. बस्सी
	उप खण्ड अधिकारी बस्सी (जिला-जयपुर)	

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
		किया गया। जो हम पाते हैं कि अपीलार्थी के द्वारा यह अपील अन्तर्गत धारा-75 भू- राजस्व अधिनियम-1956 के अन्तर्गत नामान्तरकरण संख्या 214 दिनांक 20/7/18 को निरस्त करने हेतु प्रस्तुत की है। रिकॉर्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि नामान्तरकरण संख्या 214 ग्राम भावसर ईशरवाला राजस्व अधिकारी बस्सी के द्वारा स्वीकृत किया गया है। एवं तहसीलदार बस्सी से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार भी नामान्तरकरण संख्या 214 दिनांक 20/7/2018 को राजस्व अधिकारी के द्वारा स्वीकृत किया गया है। अतः धारा 75(1) भू-राजस्व अधिनियम के अनुसार राजस्व अधिकारी के आदेश की अपील का क्षेत्राधिकार श्रीमान "जिलाधीश" को है। अतः अपील इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार में न होकर श्रीमान "जिलाधीश" जयपुर के क्षेत्राधिकार में है। अतः पत्रावली एवं पत्रावली पर मौजूद दस्तावेजों व तहसीलदार बस्सी से प्राप्त रिपोर्ट का अवलोकन किये जाने उपरान्त अपीलार्थी के द्वारा प्रस्तुत अपील को अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होने पर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 9/11/2021 को खुले इजलास आम में व कैम्प जीतावाला में सुनाया गया उप खण्ड अधिकारी बस्सी (जिला-जयपुर)